



संख्या : ए-49032/1/2022-रा.भा.(ई-5396)

दिनांक : 11 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/ क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : निगम कार्यालयों में प्रचलित मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना ।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना निगम कार्यालयों में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 10 पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

1. ₹ 5,000/- प्रत्येक की दर से 2 प्रथम पुरस्कार।
2. ₹ 3,000/- प्रत्येक की दर से 3 द्वितीय पुरस्कार।
3. ₹ 2,000/- प्रत्येक की दर से 5 तृतीय पुरस्कार।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम कार्यालयों में भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या नाममात्र होती है। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक कार्मिक योजना से परिचित हो सकें और हिंदी में काम करने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु निम्न विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित होता है। इसकी शेष शर्तें पूर्ववत हैं।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पदनाम _____ *मातृभाषा _____ द्वारा
माह _____ के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण।

क्र. सं.	तिथि	हिंदी में किए गए कार्य की फ़ाइल एवं रजिस्टर संख्या	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्य		नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				विवरण	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और पुरस्कृत कार्मिकों की सूची मुख्यालय भिजवाएं।

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 11-04-2025

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

*राजभाषा नियमानुसार जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।